कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र हाथरस।

पत्रांक :   / वि०क्षे०हाथरस / 2013   दिनांक 15.1.2013

मै० शालिनी इन्फ्राबिल्डर प्रा० लि०
डायरेक्टर - श्रीमती अलका शर्मा पत्नी श्री राकेश शर्मा व
श्री राकेश शर्मा S/o श्री निरंजन लाल शर्मा
नि० नवीपुर कलां, हाथरस।

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत विकास / विन्यास मानचित्र पत्रावली सं० RB-131/2011-12 (संशोधित) दिनांक 02-1-13 जो कि शजरा सं० 13, 15, 16 व ——— स्थित ग्राम - बिजरौली, तहसील - हाथरस .... नगर हाथरस के सम्बन्ध में आपको निम्नांकित शर्तो के साथ प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार भूमि के विकास करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. प्रस्तावित भूमि के विकास हेतु दी अनुज्ञा स्वीकृति के दिनांक सें पॉच वर्ष तक वैध मानी जायेगी। तथा समस्त विकास कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा।
2. प्रस्तावित स्थल का समस्त वाह्य एवं अन्तः विकास यथा सड़को / गलियो का निर्माण खडजा लगाना, नालियो / गटर / पानी के निकास एंव मल निकास की व्यवस्था तथा प्रकाश की व्यवस्था एवं पार्को एवं खेल के मैदान की व्यवस्था तथा सार्वजनिक उपयोगिता के विकास की व्यवस्था आदि सभी स्वंय के व्यय पर करनी होगी साथ ही समस्त विकास कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने होगे।
3. समस्त विकास के दौरान मानचित्र सदैव स्थल पर रखा जाएगा तथा किसी भी समय निरीक्षण के समक्ष निरीक्षणकर्ता को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. विकास कार्य आरम्भ करने या समाप्त होने की सूचना नियमानुसार निर्धारित प्रपत्रो पर इस विभाग को दी जायेगी।
5. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार यदि विकास कार्य के दौरान कोई भी परिवर्तन किया जायेगा तो नियमानुसार परिवर्तन करने से पूर्व उसकी सूचना विभाग को दी जायेगी तथा पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई परिवर्तन किया जायेगा।
6. किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व विवाद के लिये पूर्णतः आपका उत्तरदायित्व होगा।
7. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त यदि आवश्यक हुआ तो विकास कार्य के दौरान यदि अन्य कोई शर्त लागू की जायेगी तो वह अनापत्ति मान्य होगी।
8. बंधक किये गये भूखण्ड सं० 17, 18, 19, 20, 21, 57, 58 को समस्त आन्तरिक / वाह्य विकास पूण कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा तथा अवमुक्त कराये बिना बंधक भूखण्ड को बिक्रय नहीं किया जायेगा। प्रत्येक भूखण्ड पर भवन निर्माण की स्वीकृति भूखण्ड क्रेता द्वारा प्रथक से प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन निर्माण जायेगा।

संलग्नक :— एक प्रति मानचित्र।

15/1/13

नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, हाथरस